पंजीकृत

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 2592/VII-1/06/24–रिट/2006
देहरादून : दिनांकः 20, जून, 2006

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील–बागेश्वर के ग्राम कुनौली सुनेड़ा आदि में 8.38 वर्ग किमी0 क्षेत्र में सोपस्टोन के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु खनिज परिहार नियमावली, 1960 के अन्तर्गत आवेदिका श्रीमती जगजीत कौर पत्नी श्री इन्द्रपाल सिंह, निवासी 145, चन्दर नगर, लखनऊ ने वर्ष 1995 में जिलाधिकारी, बागेश्वर कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदिका द्वारा अपना उक्त आवेदन अपूर्ण औपचारिकताओं के साथ किया गया। आवेदन पत्र में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु आवेदिका को उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा पंजीकृत डाक से सूचना प्रसारित की गयी परन्तु वर्णित पते पर उनके द्वारा निवास न करने के कारण पंजीकृत पत्र मूलरूप में वापस आ गया। आवेदिका द्वारा अपना पता बदलने की कोई सूचना जिलाधिकारी, बागेश्वर कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी।

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 12(1) के प्राविधानान्तर्गत आवेदन पत्र को निरस्त करने से पूर्व आवेदिका को सुनवाई का अवसर (अधिकतम एक माह) दिया जाना आवश्यक है, जो कार्यवाही जिलाधिकारी, बागेश्वर स्तर से पूर्व की गयी, को दृष्टिगत रखते हुए शासन देश संख्याः 759/सात/04/120–ख/04; दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 के माध्यम से आवेदिका श्रीमती जगजीत कौर के उक्त आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। उक्त शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 के अनुपालन में जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा विज्ञप्ति संख्याः 306/तीस–खनन/2004–05; दिनांक 22 जनवरी, 2005 के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति/संस्थाओं को उक्त क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए।

उक्त निर्णयों को चुनौती देते हुए जसदीप कौर व तीन अन्य द्वारा रिट याचिका संख्याः 253(एम/बी)/2006 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका दायर की गयी। उक्त वाद के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय की मा0 डिविजन बेंच के अन्तरिम आदेश दिनांक 10.03.2006 द्वारा याचीगण को नोटिस के संदर्भ में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.03.2006 से एक माह का समय दिया परन्तु श्रीमती जगजीत कौर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10.3.2006 द्वारा दी गयी एक माह की समयसीमा जो कि 09.04.2006 को समाप्त हो गयी, तक वांछित अभिलेख जिलाधिकारी कार्यालय, बागेश्वर या शासन में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः श्रीमती जगजीत कौर पत्नी श्री इन्द्रपाल सिंह द्वारा प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.3.2006 के अनुरूप आदेश के दिनांक से एक माह की अवधि में उनके आवेदन पत्र (वर्ष 1995) में पायी गयी कमियों का निराकरण न करने कारण एतद् द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

19/6/06
(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2592 (1)VII-1/06/24–रिट/2006, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. श्रीमती जगजीत कौर पत्नी श्री इन्द्रपाल सिंह, निवासी 145, चन्दर नगर, लखनऊ।
5. रक्षित पत्रावली.

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।